



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 5-01/2017 खण्ड-XXVI

1288

/पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
रोहतास ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
शिवसागर ।

विषय : शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु
मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक 257 दिनांक 13.02.2019 द्वारा अन्य सहित शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित एवं संसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 11.03.2019 को किया जाना था। अंतिम प्रकाशन की तिथि को जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक 1115 दिनांक 11.03.2019 द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), शिवसागर को सूचित किया गया कि 885 सदस्यों की सूची को आधार सूची मानते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाय एवं पत्रांक 1121 दिनांक 11.03.2019 द्वारा प्राधिकार से यह अनुरोध किया गया कि मतदाता सूची की तैयारी के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। तदनुसार प्राधिकार के पत्रांक 458 दिनांक 28.03.2019 द्वारा शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 18.04.2019 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 583 दिनांक 29.04.2019 द्वारा शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। अपरिहार्य कारणों से प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 688 दिनांक 17.05.2019 द्वारा अधिसूचना संख्या 583 दिनांक 29.04.2019 द्वारा अधिसूचित शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन कार्यक्रम को स्थगित किया गया। साथ ही दिनांक 18.04.2019 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संदिग्ध हो जाने के कारण प्राधिकार के पत्रांक 844 दिनांक 12.06.2019 द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को निरस्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास को निदेशित किया गया कि वे समिति के अभिलेखों से जांच कर नियमानुकूल प्रस्तावित मतदाता सूची तैयार कर प्राधिकार को सूचित करें। तदनुसार जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 1935 दिनांक 30.07.2019 द्वारा यह सूचित किया गया कि समिति के उपलब्ध अभिलेखों की जांच के आधार पर शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन हेतु 525 वैध सदस्यों की मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है।

2. उक्त के आलोक में शिवसागर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जा सकता है:-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा तैयार की गयी सदस्यता सूची प्रपत्र एम-1 में निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	26.08.2019
ii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	28.08.2019
iii	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	28.08.2019
iv	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	07.09.2019 तक
v	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	12.09.2019

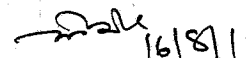
3. मतदाता सूची की तैयारी के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2019 निर्धारित की जाती है।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना उसी दिन जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2019 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। दिनांक **12.09.2019** को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक **16.09.2019** तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

6. प्राधिकार के पत्रांक 257 दिनांक 13.02.2019 द्वारा दिये गये अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,


(गिरीश शंकर)

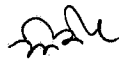
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1288

/पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वे कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त निदेश की जानकारी संबंधित समिति को दें तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1288

/पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (म० स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1288

/पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

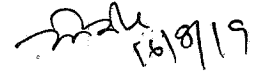


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1288

/पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य चुनाव पदाधिकारी